



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2019/भाद्र 11, 1941

No. 507]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2019/BHADRA 11, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

सं. 28/2019-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 624(अ).—केंद्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 413(अ), दिनांक 8 मई, 2000 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 57/2000-सीमा शुल्क दिनांक 8 मई, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में,

(क) प्रारंभिक पैरा में, शब्दों, आंकड़ों और कोष्ठकों "सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के क्रमशः शीर्ष सं. 71.06, 71.08 और 71.10 के अंतर्गत आने वाली चांदी, स्वर्ण और प्लेटिनम को जब उनका" के साथ शुरु तथा शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों "के अधीन भारत में निर्यात किया जाता है तो उसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उसपर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमा शुल्क और धारा 3 की उप-धारा (1), (3) और (5) के अंतर्गत उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है" के साथ समाप्त होने भाग के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के क्रमशः शीर्ष सं. 71.06, 71.08 और 71.10 के अंतर्गत आने वाली निचली सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णित की चांदी, स्वर्ण और प्लेटिनम का जब भारत में आयातित होता है तो, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट योजना के अधीन, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में एवं तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्बहणीय सीमाशुल्क के बराबर, और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1), (3) और (5) के अंतर्गत उस पर उद्बहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है:-

सारणी

क्र.सं.	विदेश व्यापार नीति के अधीन योजना	माल का विवरण	शुल्क की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय 4 के सुसंगत उपबंधों के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.46 में निर्दिष्ट “प्रदर्शनियों/निर्यात संवर्धन पर्यटन के माध्यम से ब्रांड वाले आभूषणों के निर्यात” के लिए स्कीम के अधीन पुनर्पूर्ति के रूप में	(क) स्वर्ण	11.85%
		(ख) चांदी	11.00%
		(ग) प्लेटिनम	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्बहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क
2.	प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय 4 के सुसंगत उपबंधों के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.41 में निर्दिष्ट “नामित अभिकरणों द्वारा प्रदाय के विरुद्ध निर्यात” के लिए स्कीम	स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्बहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क

(ख) तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. डीजीईपी/जीएंडजे/05/2017]

आनंद कुमार झा, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 57/2000-सीमा शुल्क दिनांक 8 मई, 2000 सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 8 मई, 2000 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित हुआ था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं.78/2018-सीमा शुल्क दिनांक 29 नवंबर, 2018 जिसे सा.का.नि. सं. 1154 दिनांक 30 नवंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2019

No. 28/2019 - Customs

G.S.R. 624(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 57/2000-Customs, dated the 8th May, 2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 413 (E), dated the 8th May, 2000, namely:-

2. In the said notification, -

(a) in the opening paragraph, for the portion beginning with the words, figures and brackets “hereby exempts silver, gold and platinum, falling under headings 71.06, 71.08 and 71.10 respectively of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India” and ending with the words, brackets and figures “from the whole of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, and from the whole of the additional duty leviable thereon under sub-sections (1), (3) and (5) of section 3 of the said Customs Tariff Act”, the following shall be substituted, namely:-

“hereby exempts silver, gold and platinum of the description specified in column (3) of the Table below falling under headings 71.06, 71.08 and 71.10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India under the scheme specified in column (2) of the said Table, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, and from the whole of the additional duty leviable thereon under sub-sections (1), (3) and (5) of section 3 of the said Customs Tariff Act:-

TABLE

Sl.No.	Scheme under Foreign Trade Policy	Description of goods	Amount of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	As replenishment under the Scheme for ‘Export through Exhibitions/Export Promotion Tours/Export of Branded Jewellery’ as referred to in Paragraph 4.46 of the Foreign Trade Policy, read with relevant provisions of Chapter 4 of the Handbook of Procedures.	(a) Gold	11.85 %
		(b) Silver	11.00 %
		(c) Platinum	Whole of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
2.	Under the Scheme for ‘Export Against Supply by Nominated Agencies’ as referred to in Paragraph 4.41 of the Foreign Trade Policy, read with relevant provisions of Chapter 4 of the Hand Book of Procedures.	Gold, Silver, Platinum	Whole of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)”;

(b) the third proviso shall be omitted.

[F. No. DGEP/G&J/05/2017]

ANAND KUMAR JHA, Under Secy.

Note : The principal notification No. 57/2000-Customs, dated the 8th May, 2000 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 413 (E), dated the 8th May, 2000 and was last amended by notification No. 78/2018-Customs, dated 29th November, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 1154 (E), dated the 30th November, 2018.